अनुसूची 14—फारम सं0— 462

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक — ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख—सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0— 02/2013

अपीलार्थी — रीना कुमारी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट — राज्य सरकार व अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1037—1/प्रो0 दिनांक 10.6.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में स्थानांतरित होकर दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में आरोप यह है कि श्रीमती प्रियंम्बदा कुमारी सी0डी0पी0ओ0 सोनवर्षा को जिलाधिकारी,सहरसा के निर्देशानुसार ही बनमा ईटहरी परियोजना के आँगनबाड़ी केन्द्र धोवी टोला केन्द्र सं0— 49 का दिनांक 15.12.2012 को टी0एच0आर0 दिवस की जाँच हेतु प्रति नियुक्त किया गया। जाँचक्रम में निम्न अनियमितताऐं पाई गई :—

(1) आँगनबाड़ी सेविका द्वारा बताया कि सहायिका का कियाकलाप सही नहीं है। वे समय पर केन्द्र पर नहीं आती है, चयन मुक्ति की अनुशंशा की गई है।

निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा केन्द्र में उपर्युक्त अंकित अनियमितताऐं के संबंध में कार्यालय ज्ञापांक —257—1 दिनांक 13.2.2013 द्वारा सहायिका को अपना स्पष्टीकरण एवं दिनांक 21.2.2013 को अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया। निर्धारित तिथि को सहायिका ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया अपने स्पष्टीकरण

में उन्होंने कहा कि (1) वे ससमय आँगनबाड़ी केन्द्रों पर नियमित रूप से जाती हूँ केन्द्र की सफाई करती हूँ एवं बच्चों को घर से बुलाती हूँ।

(2) दिनांक 15.12.2012 (T.H.R. वितरण दिवस को) वे घर से केन्द्र पर जाने के लिए निकली थी, कि रास्ते में अचानक चक्कर आने से वे बेहोश होकर गिर गई। ग्रामीणों की मद्द से उन्हें घर पहुँचाया गया। वे गैस्टिक एवं दो दिन से बुखार से पीड़ीत थी, बेहतर ईलाज के लिए चिकित्सक के पास चली गई। सहायिका द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सरहसा ने असहमति व्यक्त करते कार्यालय ज्ञापांक 1037–1/प्रो0 दिनांक 10.6.2013 से चयन मुक्ति आदेश निर्गत किया गया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी क विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने अपना –अपना पक्ष रखा। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 15.12.2012 को T.H.R. दिवस को सहायिका पूर्व की भाँति अपने घर से निकलकर केन्द्र पर आ रही थी, इस बीच रास्ते में ही उन्हें अचानक सिर में चक्कर आने लगा, तब तक वे संभल पाती , अचानक चक्कर होने के कारण धड़ांम से वह नीचे रोड पर बैठ (गिर) गई, एवं लेट गई। उपस्थित ग्रामीणों ने उन्हें मद्द कर घर पहुँचाया इधर वे दो दिनों से ही गैस्टिक व बुखार होने के कारण पीडित व कमजोर थी वे बेहतर ईलाज कराने हेतु चिकित्सक के पास चली गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने साक्ष्य स्वरूप डॉ0 राज किशोर सिंह चिकित्सा पदाधिकारी पी0एच0सी0 बनमा ईटहरी का उस तिथि का पूर्जा अवलोकन कराया। गया अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सहायिका को दिनांक 15.12.2012 को T.H.R. वितरण दिवस होना है जानकारी थी, किन्तु अचानक चक्कर आ जाने के कारण एवं चिकित्सक के पास जाने की सूचना तत्काल सेविका भी दिया, किन्तु सेविका द्वारा गलतबयानी कर सहायिका ससमय केन्द्र पर आती है, तथ्य को छुपा लिया तथा गलत बयानबाजी कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया कि सहायिका समय पर केन्द्र पर नहीं आती है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि दिनांक 15.12.2012 के अलावे अन्य किसी भी तिथि को सहायिका जाँच पदाधिकारी द्वारा अनुपस्थित नहीं हुई है, और न पोषक क्षेत्र के किसी लाभुको ने मेरे बारे में कोई शिकायत दर्ज की। नियमित रूप से वे केन्द्र पर जाकर समुचितरूप से कार्य निष्पादित करती है।

उन्होंने यह भी बताया कि निरीक्षण तिथि को

अस्वस्थ हो जाने पर बनमा ईटहरी के चिकित्सा पदाधिकारी का पूर्जा संलग्न करने के बाद भी निम्न न्यायालय का यह कहना है कि अनुपस्थिति का बहाना बनाया गया है, समझ का फेर है ईलाज का कागजात का पूर्णरूपेण न्यायिक दृष्टिकोण से अवलोकन नहीं किया गया और न ही मंतव्य ही दिया गया, बल्कि सी0डी0पी0ओ0 के मनगढ़ंत तथ्य रिर्पोट को आधार बनाते हुए चयन मुक्त कर दिया गया, जो सरासर गलत है।

उन्होंने सहायिका का पक्ष रखते हुए बताया कि सहायिका ने ऐसी कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की है जिसके लिए प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा कठोरतम एवं दंण्डात्मक आदेश पारित किया है, जो खारीज करने योग्य है, उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक दिन की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर माननीय उच्च न्यायालय C.W.J.C.NO- 317/2014 में स्पष्ट वर्णित है कि एक दिन की अनाधिकृत अनुपस्थिति में चयन मुक्त आदेश देना पूर्णतः गलत व असंवेधानिक है।

अतः न्यायालय सारे विवेचनाओं व निष्कर्षों के अधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सहायिका T.H.R. वितरण दिवस को अपनी अस्वस्थता के वजह से केन्द्र पर नहीं पहुँची T.H.R. वितरण दिवस में कुपोषित 28 गर्भवती 8 अतिकुपोषित 12 प्रस्तुति 8 लाभुकों को सही मात्रा में सूखा अनाज वितरण किया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि केन्द्र का संचालन अच्छे ढ़ंग से चलता है। अगर थोड़ी देर के लिए इसे बहाना भी माने तो भी इतने कठोरतम दंड चयन मुक्ति का आदेश पूर्णतः सही प्रतीत नहीं होता है, सहायिका का मनोबल टुटता है। ज्यादा से ज्यादा उक्त दिवस का एक दिन का मानदेय काटकर चेतावनी सहित पुनः आदेश निर्गत की तिथि से सहायिका के चयन को बरकरार रखा जाता है तथा सहायिका को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अपने दायित्वों को पूरी मुस्तैदी व जवाबदेही से निभायें आने –वाले समय में पोषक क्षेत्र में लाभुक वर्ग के कार्य में कोताही नहीं बस्ते। जवाबदेही से कार्य करें। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल,सहरसा

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा